

आचार्यलय,

संघिय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या - प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2021/3537

सम्बद्धता दिनांक 06/08/2021

आचार्यलय प्राप्त:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय काउन्सिल ऑफ इंजियरिंग, नई दिल्ली द्वारा मौखिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 06/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्होदित गई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अलग मर्तो पर विचार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नोक्त मर्तो के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4488-SRI BHAGWAT INSTITUTE OF TECHNOLOGY, N H -2, MOHAN SARAY BYPASS ROAD, VILLAGE- DELHANA, POST-KASHIP

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकाली 1992, विमेंटर विनियमकाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय हार्शीठ पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले मासनामेय प्रभारों होने, और उपरुक्तार कार्मसी

- किया जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दरे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उत्पन्न प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना; विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
 - ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्थात्तित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा; सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
 - ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सूत्रक जमा कराना होगा।
 - ✓ संस्था को एड-आर्ब/सी/टी/टी/ई/पी/सी/आई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविधियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्पन्न, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्पन्न तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्पन्न द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद साक्षर किया जाता है तथा वाद वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
 - ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सम्बद्ध द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी/सी/आई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
 - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 - ✓ संस्था को अपने वेकवाइट पर संस्था को समस्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सज्ज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला बुक, छात्रवास बुक आदि का विकल्प उपलब्ध कराना होगा।
 - ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उमयुक्त पाठ्यवरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिना टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 - ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
 - ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा एड-आर्ब/सी/टी/टी/ई/पी/सी/आई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
 - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुंनं- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/2538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठिपि-

